कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी अलीगढ़।

पत्रांकः2015 / अ0प्र0प0 / अलीगढ़ / 08 / सीएफओ दिनांकःअप्रैल 04 ,2015

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
जनपद अलीगढ़।

विषयः खसरा संख्याः 1470 ग्राम उखलाना, तहसील कोल जनपद अलीगढ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्र संख्याः262 / जि0पू0अ0 / एन0ओ0सी0 / 15, दिनांकः23.03.2015,

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रस्तावित स्थल खसरा संख्याः 1470 ग्राम उखलाना, तहसील कोल जनपद अलीगढ़ पर नवीन रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेत प्राप्त मानचित्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक है।

उपरोक्त के अनुपालन मे प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन द्वितीय अधिकारी अलीगढ़ श्री नन्नूमल शर्मा से अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्यानुसार प्रस्तावित स्थल मानक के अनुरूप चौडे मार्ग अली०अतरौ० पर स्थित है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आवगमन करते हुए अग्निशमन का कार्य कर सकते है। प्रस्तावित स्थल रिटेल आउटलेट के लिये उपयुक्त है। स्थल पर निम्न अग्निसुरक्षा व्यवस्था कराये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित का निर्देशित करने का कष्ट करें।

1– प्रस्तावित स्थल मानचित्र में सड़क के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी पर स्थित दर्शाया गया है।
2– परिसर के चारो तरफ 1.20 मीटर ब्रिकवाल प्रस्तावित है।
3– परिसर में प्रवेश / निकास हेतु 11.50 मीटर चौड़ाई के दो अलग–अलग गेट प्रस्तावित है।
4– मानचित्र में 12 मीटर लम्बाई व 03 मीटर चौडी बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणाली

1–कैनापी का निर्माण अस्थायी संरचना के रूप में अनुमन्य होगा जिसकी भूतल से न्यूनतम ऊँचाई 6 मी0 से कम न हो।
2–न्यूनतम पार्किंग क्षेत्र 80 वर्ग मी0 से कम न हो।
3–सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस–2148–1646 के मानको के अनुरूप किया जाये तथा विद्युत वायरिंग में एम0सी0बी0 / ई0एल0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।
4–प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाये जो आपस में जुडी नही होनी चाहिए एवं ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारो तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
5–वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
6–टैंक में तेल भरते समय टैंक, डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वार्जित है।
7–लारी से टैंक मे तेल भरते समय Proper Earthing होना अति आवश्यक है।
8–स्टोरेज टैंक के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
9–प्रत्येक डिस्पेन्सर के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्निशमन उपकरण सदैव क्रियाशील दशा में होने चाहिए एवं उनका रख रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।
10–अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास आई0एस0 मार्का फोम टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 9 ली0 एवं आई0एस0 मार्का ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2–2 अदद क्षमता 10 किलोग्राम के रखे जाये एवं 75 किलोग्राम वजन डी0सी0पी0 ट्राली एवं 50 ली0 फोम की ट्राली होनी चाहिए।
11– इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्का कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 1–1 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।